न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू.अभिलेख अधिकारी, जैतारण (जिला–ब्यावर) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री श्यामसुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 72/2024
GCMS NO. : 2024/00122

–: प्रार्थीगण :–	बनाम	–: अप्रार्थीगण :–
01. हरीश कुमार पुत्र मोतीलाल जाति– माली, निवासी– रास, तहसील– जैतारण, जिला– ब्यावर राज0।		1. तहसीलदार जैतारण, तहसील कार्यालय– जैतारण, जिला– ब्यावर (राज.)।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख रजू:. 22/03/2024

उपस्थितः– 1. श्री नितेश चौहान, नरेश कुमावत, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. सरकारी पैरोकार, तहसीलदार जैतारण, अप्रार्थी।

–:: निर्णय ::– **दिनाँकः– 20/06/2024**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956, के तहत् विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश कर निवेदन किया है कि बनाम प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा सेवरिया पटवार हल्का सेवरिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास तहसील जैतारण जिला ब्यावर राजस्थान में स्थित वाके आराजी खसरा नम्बर 68/1 रकबा 0.8903 हैक्टयर बारानी दोयम आई हुई है। जिसका प्रार्थी काबिज खातेदार काश्तकार है। नकल जमाबन्दी प्रार्थनापत्र के साथ पेश है। वर्णित आराजी खसरान भूमि मे आज दिन तक काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है तथा प्रार्थी की कृषि भूमि के पास ही अप्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 68 रकबा 13.5731 हैक्टयर की आई हुई है। जिसको सीमा विवाद होता रहा है तथा अप्रार्थी एवं उसके अधिनस्थ कर्मचारी आये दिन प्रार्थी की भूमि मे नापचौप नही होने एवं सीमाज्ञान नही होने को लेकर तंग व परेशान करते रहते है जिस सम्बन्ध में कई बार प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी व उसके अधिनस्थ कर्मचारीगण को अपने हिस्से मे तरमीम हुई खसरान् भूमि को नापचौप कर सीमाज्ञान करने का निवेदन किया व कहा कि उक्त खसरान् भूमि का नापचौप करावे एवं सीमाज्ञान करवाने बाबत् निवेदन भी किया लेकिन आज दिन तक सीमा ज्ञान नही हो पाया तथा मौके पर विवाद होते है इसलिए उक्त खसरान् भूमि का सीमाज्ञान किया जाना आवश्यक होने से उक्त खसरान् भूमि आराजी का सीमाज्ञान करवाने हेतु उक्त प्रार्थनापत्र श्रीमान् के समक्ष पेश है। आए दिन इस विवाद एवं सीमाज्ञान के विवाद से बचने के लिए उक्त खसरान भूमि का सीमाज्ञान न्यायहित में करवाने हेतु एक प्रार्थनापत्र अप्रार्थी तहसीलदार जैतारण एवं पटवारी हल्का सेवरिया को दिनांक 06/03/2024 को पेश किया लेकिन आज दिन तक किसी प्रकार से कोई सीमाज्ञान नहीं होने से मजबूरन उक्त प्रार्थनापत्र श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। उक्त खसरान् भूमि सरहद मौजा सेवरियां पटवार हल्का सेवरिया तहसील जैतारण जिला ब्यावर राज0 में स्थित होने से उक्त प्रार्थनापत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय हाजा को प्राप्त होने से यह प्रार्थनापत्र श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण(

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी/तहसीलदार जैतारण के जरिए सम्मन वास्ते जवाब प्रार्थना-पत्र तलब किया।

अप्रार्थी/तहसीलदार जैतारण की ओर से जवाब प्रार्थनापत्र पेश किया गया जो शामिल मिसल है। अप्रार्थी/तहसीलदार जैतारण ने जवाब प्रार्थनपत्र में कथन किया है कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी चौसाला आधार संवत 2073-76 जमाबंदी 2077 के खाता संख्या 480 में खसरा नम्बर 68/1 रकबा 0.8903 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम हरीश कुमार पुत्र मोतीलाल कौम माली सा. रास के नाम की खातेदारी भूमि दर्ज है।

हमनें पत्रावली मय दस्तावेजात का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी व सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई और उस पर मनन किया। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार हैः-

01. राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956, के तहत् विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश कर निवेदन किया है कि बनाम प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा सेवरिया पटवार हल्का सेवरिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास तहसील जैतारण जिला ब्यावर राजस्थान मे स्थित वाके आराजी खसरा नम्बर 68/1 रकबा 0.8903 हैक्टयर बारानी दोयम दर्ज है।

02. प्रार्थना-पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी की उक्त वादग्रस्त आराजी का कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवाड़ा हो रखा है। रेकर्ड में अलग से तरमीम है।

03. प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 68/1 रकबा 0.8903 हैक्टयर बारानी दोयम के पास ही अप्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 68 रकबा 13.5731 हैक्टेयर है। तरमीम की हुई उक्त वादग्रस्त आराजी का नापचौप कर सीमाज्ञान करना न्यायसंगत है।

04. अप्रार्थी/तहसीलदार जैतारण ने जवाब प्रार्थनपत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी चौसाला आधार संवत 2073-76 जमाबंदी 2077 के खाता संख्या 480 में खसरा नम्बर 68/1 रकबा 0.8903 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम हरीश कुमार पुत्र मोतीलाल कौम माली सा. रास के नाम की खातेदारी भूमि दर्ज है।

पत्रावली एवं संलग्न राजस्व अभिलेख के अवलोकन से यह जाहिर है कि राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956, के तहत् विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा सेवरिया पटवार हल्का सेवरिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास तहसील जैतारण जिला ब्यावर राजस्थान मे स्थित वाके आराजी खसरा नम्बर 68/1 रकबा 0.8903 हैक्टेयर बारानी दोयम दर्ज है। जिसका प्रार्थी काबिज खातेदार काश्तकार है तथा वादग्रस्त आराजी के सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी हेतु आदेश किया जाना उचित होगा। अप्रार्थी की आराजी प्रार्थी की आराजी के साथ सीमा बनाती है। अतः उभयपक्ष के मध्य खेतों की वास्तविक सीमा रेखा की स्थिति को लेकर विवाद होने से इनकार नहीं किया जा सकता। खातेदारों के मध्य आराजी को लेकर किसी प्रकार का सीमा विवाद न हो इसके लिए यह आवश्यक है कि काश्तकारों को उनकी खातेदारी भूमि की सीमाओं का सही-सही ज्ञान हो। राजस्थान भू-राजस्व

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण

धिनियम, 1956 की धारा 128 में प्रावधान है कि काश्तकारों के मध्य सीमा-विवादों निस्तारण धारा 111 में विहित प्रकिया से किया जावे। अतः हम प्रार्थी का र्थना-पत्र स्वीकार करना विधिसंगत समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी अंतर्गत ारा 128, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 भलीभांती साबित होने एवं सारवान ोने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं कि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा सेवरिया पटवार हल्का सेवरिया भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास तहसील जैतारण जिला ब्यावर राजस्थान में स्थित वाके आराजी खसरा नम्बर 68/1 रकबा 0.8903 हैक्टयर बारानी दोयम दर्ज है। जिसका प्रार्थी व काबिज खातेदारान के मध्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 में विहित प्रकिया का अनुपालन करते हुए सीमाज्ञान कर सीमा विवाद का निस्तारण करें, प्रार्थी के हर्जे खर्चे से उक्त खसरा संख्याओं की आराजी के मध्य सीमा-विभाजक रोपित करावें। उभय पक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित रहें। तहसीलदार, जैतारण को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू-अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला-ब्यावर)

निर्णय आज दिनांक 20/06/2024 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू-अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला-ब्यावर)